

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता विरौल दरभंगा

सत्य नारायण पोद्दार

वनाम

अनावाद बिहार सरकार द्वारा अंचलाधिकारी कु० स्थान पुर्वी एवं महिन्द्र सदा वगै०

वाद संख्या-22/2013-14

पु० सं०-125/2013-5/14  
द्वारा नया निसाफ  
5-5-14  
4580

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

26.12.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा गोलमा

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
50	664		
नया	नया	16-00	उ०-निज वादी
	256		
75 पु०	पु०		द०-केदार पोद्दार
	257		
26 पु०	पु०		पु०-रामसिंह राय
	258		
	पु०		प०-राजकुमार राय
खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
168			
पु०	460	06-05	उ०-निज मालिक
172	461		द०-सोने लाल
नया	पु०		पोद्दार
	651		पु०-घनश्याम राम
	521		प०-निज वादी

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी के प्रश्नगत जमीन विक्रेता कृष्ण प्रसाद सिंह पे० स्व० रघुबीर प्रसाद सिंह से दिनांक 10.12.2011 को खरीद किया तथा अपना दखल कब्जा पाया है। पुनः वादी यह दावा करते हैं कि वाद पत्र की जमीन वादी के विक्रेता को परिवारजन के नाम दर्ज है तथा विक्रेता के द्वारा उचित कीमत लेकर यह जमीन वादी को केवाला निबंधित किया गया है। नया खतियान अनावार सर्व साधारण बन गया जो सर्वे आमला के भूल का द्योतक है तथा वाद पत्र की जमीन अभी भी वादी के जोत आवाद तथा दखल कब्जा में है। वादी केवाला की जमीन का दाखिल खारिज करवाकर अपने नाम राजस्व की आदायगी करते हैं। ज्ञात हो कि जमाबंदी विक्रेता के जमाबंदी के रकवा खारिज होकर बना है जो सबुत सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया जाएगा। वादी के दखल कब्जा तथा कागजातो के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट होता है कि वाद पत्र की जमीन बिल्कुल रैयती है तथा इस जमीन का लगान भी बहुत पुर्व से दिया जाता है। वाद पत्र के संचालन का अवसर तब मिला जब नया खतियान अनावार सर्व साधारण बन जाने के कारण कुछ असमाजिक तत्व वादी के जमीन पर अपना अवैध क्रिया कलाप कर वादी के साथ दखल कब्जा बाधित कर स्थल पर विधि व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं।

वहीं अंचलाधिकारी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुर्व में नदी थी, भरैन होकर भीठ हो गया एवं उसे भूमिहीनो/महादलितो को बन्दोबस्ती अभिलेख सं०-5/2009-10 के द्वारा आवंटित की गई है इस संदर्भ में ज्ञात हो कि प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के ज्ञापांक 671 दिनांक 21.10.2009 एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा के ज्ञापांक 9014 दिनांक 23.10.2009 के आलोक में महादलित परिवारो को गृहस्थल योजना अन्तर्गत प्रति परिवार 03 डि० अधिसीमा संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से ट्रेड नक्शा के साथ स्थानीय सर्वेक्षण कर भू आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया एवं वितरण किया गया छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत स्थल पर महादलित परिवारो जिनको भूबन्दोबस्त किया गया है का दखल कब्जा वो झोपड़ी वो अधिपत्य कायम है एवं वादी इर्द गिर्द में भी नहीं है और न ही उन्हे सम्बद्धता है। अन्य प्रतिवादी लाभूक महादलित परिवार है वादी के नाम तथा

कथित जमाबंदी वो लगान रसीद को विधानुसार निरस्त करने की प्रवृत्त किया गया है।

दुसरी तरफ विपक्षीगण 2 से 12 तक का संक्षेप में कहना है कि प्रतिवादीगण को पुर्वजो के समय से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। जिससे वादी को कोई एलाका वो सरोकार नही है चूकि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगण महादलित का अवासीय मकानमय सहन के शांतिपुर्ण चला आ रहा है जहाँ तक एक ओर सरकार द्वारा महादलित को भूमि उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे वादी अवैध केवाला एवं फर्जी कागजात के आधार पर वेदखल एवं वेधर करने हेतु उक्त वाद पत्र दायर किये है। वादी अपने वाद पत्र में जो खतियान की प्रति संलग्न किया है उससे स्पष्ट होगा कि नदी भरण बाँध परती वगै० है जिस भूमि को कय विक्रय को कोई औचित्य नही है तो किस आधार पर वादी केवाला का दावा करते है वही दुसरी ओर पर्चाधारी के नाम उक्त भूमि का जमाबंदी चल रही है तो एक ही भूमि का वादी को भी जमाबंदी होना बिल्कुल जाल फरेबी है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि विभिन्न केवालाओं के आधार पर प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है एवं साक्ष्य के रूप में केवालाओं की प्रति संलग्न की गई है। अंचलाधिकारी के पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये नक्शा एवं भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि में दर्ज नया खेसरा 521 बहुत सारे पुराने खेसरा से बना है जो अनावाद बिहार सरकार है। नया एवं पुराना नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पुराना खेसरा 283, 371, 460, 461 से नया खेसरा 521 बना है जो अनावाद बिहार सरकार दर्ज होने के बावजूद दिनांक 08.09.09 दिनांक 10.12.11 एवं दिनांक 18.10.10 को विभिन्न केवालाओं के माध्यम से विक्री किया गया जो उचित नही है। जहाँ तक प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर दावा का प्रश्न है अंचलाधिकारी के पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये नया एवं भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट

होता है कि नया खेसरा 521 अनावार बिहार सराकार है जिसके कुछ हिस्से पुराना खेसरा 283 के रकवा 0.40 डी0, खेसरा 371 के रकवा 1 एकड़, खेसरा 447 के रकवा 0.70 डी0, खेसरा 459 के रकवा 0.20 डी0 एवं खेसरा 460 के रकवा 0.10 डी0 यानि कुल 2 एकड़ 40 डी0 भूमि पर भूमिहीनो को पर्चा प्राप्त है। अतः बन्दोबस्तधारी प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पुराना खेसरा 283 के रकवा 0.40 डी0, खेसरा 371 के रकवा 1 एकड़ एवं खेसरा 460 के रकवा 0.10 डी0 पर दावा बनता है। इस प्रकार यद्यपि उपर वर्णित प्रश्नगत पुराना खेसरा से भूमिहीन/ महादलितो को बन्दोबस्त रकवा एवं अनावार बिहार सराकार के नाम दर्ज खेसरा को छोड़कर अन्य प्रश्नगत खेसराओं पर वादीगण का दावा सही प्रतीत होता है परंतु सभी केवाला जिसमें अन्य खेसराओ के साथ साथ अनावार बिहार सराकार के नाम दर्ज खेसराओं का विक्रय किया गया है वह स्वीकार्य नही है। इस प्रकार इस वाद में जटिल स्वत्व न्याय-निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारो की याचना के लिए स्वतंत्र होंगे।


उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

  
26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

  
26.12.13  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल